

24/11/2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

जगदीश प्रकाश पुत्र प्रभूराज शर्मा शरणा	ब	प्रतिवादी
	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 183 / 2021 GCMS No. 2021/895

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
-------------	------------------------------------	---

24/11/2021 वादी श्री जगदीश प्रकाश पुत्र प्रभूराज जाति शर्मा निवासी शरणा द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत शरणा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 ग्राम शरणा पटवार मण्डल 35534 गेवाके खाता नम्बर 71 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि

जगदीश प्रकाश पुत्र प्रभूराज दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम जगदीश प्रकाश पुत्र प्रभूराज

है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. 00087 आधार नम्बर 3338 6185 8932

मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज PAN N. C1FPP 15175 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी भू.अ.नि एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

